न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदने राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-50/2008

नौरंगलाल दत्तक पुत्र ईश्वरराम और स0 पुत्र गिरधारीलाल जाति माली निवासी बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- रामा देवी पत्नी ईश्वरराम जाति माली निवासी बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)--- मृतक--

2- मु0 द्रोपती पुत्री ईश्वरराम पत्नी जगदीश माली निवासी ढाणी माना वाली तन कस्बा नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

3- सागरमल पुत्र मनाराम जाति माली निवासी बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

4- माला पुत्र झुथा
5- रामेश्वर पुत्र मंगला
6- मगराज पुत्र मंगला

(4 से 6) जाति माली निवासी बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

7- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ ।

8- गणपतराम पुत्र भींवाराम जाति माली निवासी वार्ड नं0-23 नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 9-4-2008 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी, नवलगढ ।

--0--

उपस्थिति-

1- श्री हरिप्रसाद सैनी एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री शिवनारायणसिंह एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक - 13.12.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी नोरंगलाल ने अदालत मातहत में दावा घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा, बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि वादी नोरंगलाल, गिरधारीलाल प्रतिवादी सं0-3 का ओरस पुत्र है और प्रतिवादी संख्या-1 ईश्वरराम का दत्तक पुत्र है । प्रतिवादी सं0-2 ईश्वरराम की लडकी व वादी की बहिन है । प्रतिवादीगण ईसरराम व गिरधारीलाल कुटम्ब में भाई हैं । ईश्वर के कोई लडका नहीं था । इसलिये ईसरराम ने मिती फागुन कृष्णा एकम रविवार दिनांक 18 फरवरी 1973 को अपनी पत्नी की सहमति से वादी को गोद ले लिया । तथा वादी के पिता गिरधारीलाल ने वादी गो गोद दे दिया । इस प्रकार ईसर ने वादी को गोद स्वीकार कर लिया । तथा गोद की बाबत एक लिखावट भी लिखी गई । जिस पर उपस्थित लोगो ने अपने हस्ताक्षर किये । तथा गोद पत्र को उसी रोज उप पंजीयक अधिकारी उदयपुरवाटी के रजिस्टर्ड करवा लिया ईसरराम ने ही वादी का लालन पोषण एवं शादी की है ।

ग्राम बिरोल में आराजी खसरा नम्बर 74 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 75 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 76 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0-77 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 79 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 80 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा कुल किता-6 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा में 1/3 हिस्से का ईसरराम खातेदार, 1/3 हिस्से का प्रतिवादी सं0-3 से 6 व 1/3 हिस्से का प्रतिवादी सं0-7, 8, 9 खातेदार काश्तकार है। इस आराजी के अलावा खसरा नं0 63 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नं0 229 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में 1/2 ईसरराम का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0-3 से 6 का है । ईसरराम ने 1/2 हिस्से में से 10 बीघा खाम यानी 4 बीघा 6 बिस्वा जमीन सन् 1973 में गिरधारी लाल प्रतिवादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बैचान कर दी । इस प्रकार ख0नं0 229 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में ईसरराम के केवल 5 बीघा 11 बिस्वा जमीन शेष रही ।उक्त समस्त आराजी पैत्रिक हैं । वादी प्रतिवादी सं0-1 ईसरराम का दत्तक पुत्र है और संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य व कोपारसनर है । इसलिए ईसरराम की आराजी ख0नं0 74, 75, 76, 77, 79, 80 व चाह 78 में 1/3 हिस्सा में 1/2 हि0

का खातेदार काश्तकार है । खसरा नं0 63 में 1/2 हिस्से का खातेदार व खसरा नं9 229 में 5 बीघा 11 बिस्वा में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा तमाम आराजी को शामिल में काश्त करता है। तथा ईसरराम के साथ ही रहता है किन्तु अब ईसरराम की नीयत खराब हो गई । जिसने वादी की बिना रजाबंदी के दिनांक 12-11-1982 को ख0नं0 74 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 75 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 76 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 77 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 79 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 80 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा कुल किता-6 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा एवं ख0नं0 78 चाह में 1/3 हिस्से का दान पत्र अपनी लडकी द्रोपदी प्रतिवादिया नं0-2 के नाम तहरीर कर दिया तथा उसी रोज उप पंजीयक उदयपुरवाटी के यहां रजिस्टर्डर करवा दिया । जो वादी की बिना रजाबन्दी के करवाया है जो नल एण्ड वोईड है। विवादित आराजी पैत्रिक है जिसमें वादी कोपारसनर है । जिसमें ईसरराम के 1/3 हिस्से में वादी का 1/2 हिस्सा है । ईसरराम को इस आराजी को बिना वादी की रजाबन्दी के दान करने का अधिकार नहीं था । दान पत्र 12-11-1982 में ईसरराम ने अपने कोई जायन्दा लडका नहीं होना भी दर्ज किया है । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वादी ईसर का दत्तक पुत्र नहीं है । दान पत्र के बाद प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजी में काश्त नहीं करने दे रहे है । इस कारण वादी ने यह दावा किया । जिस पर सुनवाई करते हुये वादी का दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा ग्रामपंचायत ने दो अलग अलग अपीले पेश की है । अपील संख्या-36/2008 का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11-2-2001 को किया जिसकी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश करने पर निगरानी स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलान्ट का निर्णय एक साथ किये जाने के निर्देश से इस न्यायालय को रिमाण्ड की गई । दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है जिसमें अपील संख्या-50/2008 उनवानी नौरंगलाल बनाम--रामादेवी को आधार माना गया है। अपील निम्न आधारो पर पेश की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने जब अपीलान्ट को गोद का पुत्र मान लिया तो ईश्वर के संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य हो जाने से की सूरत में कोपार्सनरी द्रोपदी को वादी की रजाबन्दी के बिना दान में देने का कोई हक अधिकार नहीं है । इसलिए दान पत्र दिनांक 12-11-1982 वादी के हकूकों पर कोई असर नहीं डालता है । इस कारण दान पत्र प्रभावहीन व नल एण्ड वोईड है ।दान पत्र में ईसरराम ने दर्ज किया है कि उसके कोई पुत्र नहीं है। ईसरराम ने वादी/अपीलान्ट को विधिवत गोद लिया है और गोद का पुत्र भी जायन्दा पुत्र की तरह ही है। अदालत मातहत ने विवादित आराजी को पैत्रिक नहीं मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है ।अदालत मातहत ने तनकी संख्या-3 का निर्णय अपीलान्ट के पक्ष में करके ग्राम बिरोल की आराजी ख0नं0 229 में से 5 बीघा 11 बिस्वा तथा ख0नं0-63 में 3 बीघा का 1/2 हिस्सा गोद के पुत्र होने से खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित माना है तो शेष पैतृक सम्पत्ति का भी वादी को 1/2 हिस्से का कोपार्सनर होने के नाते खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिये था । माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने प्रकरण को रेवेन्यू कोर्ट के क्षेत्राधिकार का मानकर दिनांक 27-4-2000 को रिमाण्ड किया था । इसके बाद भी अदालत मातहत ने दान पत्र को सिविल न्यायालय से खारिज करवाने का आदेश देकर 1/2 हिस्से का अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं करने में कानूनी भूल की है ।अतअपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादी का दावा पूर्ण रूप से स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिय रजिस्टर्ड तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान अभिभाषकगण दोनो अपीलों की बहस एक साथ सुने जाने का निवेदन करते हुये दोनों ही अपीलों की बहस एक साथ की है ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का 1/3 हिस्से का ईसरराम रेकार्डेड खातेदार काश्तकार था । ईसरराम के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से ईसरराम ने गांव के मौतबिरान के सामने दिनांक 18-2-1973 मिती फागुन कृष्णपक्ष एकम रविवार को वादी के जायन्दा माता पिता की अनुमति से गोद ले लिया जिसकी लिखा पढी की गई गुड पतासे बांटे गये तथा गोदनामें बाबत 30/- रूपये के स्टाम्प पर लिखा पढी भी हुई तथा उसी दिन इस गोदनामे को उप पंजीयक उदयपुरवाटी के यहां रजिस्टर्ड करवा लिया । इसके बाद ईसरराम ने अपीलान्ट को अपने पास एक पुत्र के रूप में रखा। लिखाया पढाया तथा शादी भी ईसरराम ने ही की ।अपीलान्ट ईसरराम के साथ ही रह रहा था । किन्तु ईसरराम के मन में कोई बेईमानी आ गई और उसने अपने हिस्से की आराजी का दान पत्र अपनी पुत्री द्रोपदी के नाम करवा दिया । जबकि इस आराजी का दान पत्र कराने का अधिकार ईसरराम के पास नहीं था क्योंकि वादी अपीलान्ट गोद लिये जाने के बाद इस आराजी का ईसरराम के साथ साथ वह भी कोपारसनर हो गया था । अपीलान्ट की बिना सहमति के ईसरराम समस्त भूमि का दान पत्र नहीं करवा सकता ।ईसरराम द्वारा किया गया दान पत्र वादी अपीलान्ट के अधिकारों पर प्रभावहिन है। क्योंकि अपीलान्ट ईसरराम का दत्तक पुत्र है और संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है जो विवादित आराजी का कोपार--सनर है । जिसकी बिना सहमति के ईसरराम इस आराजी का दान पत्र नहीं कर सकता और यदि ऐसा दान पत्र कर भी दिया तो वह नल एण्ड वोईड है । उक्त विवादित आराजी पैत्रिक है जिसमें ईसरराम के 1/3 हिस्से में वादी/अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा§ अर्थात 1/6 हिस्सा§ है । ईसरराम 1/3 हिस्से का दान पत्र नहीं कर सकता । अदालत मातहत ने तनकी संख्या-1 में माननीय न्यायालय के बाद भी यह आदेश विधि के विपरित पारित किया है कि दान पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते । दान पत्र कानून के विपरित किया गया है एक कोपारसनर की बिना सहमति के किया गया है । जो अपीलान्ट के अधिकारों पर बेअसर है । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई

अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर वादी का दावा पूर्ण रूप से डिक्री किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने आपको ईसरराम के गोद जाना बताया है तथा गोदनामा भी पेश किया है । किन्तु अपीलान्ट अपने जायन्दा पिता गिरधारी की खातेदारी की आराजी में अन्य वारिसान के साथ खातेदार दर्ज है । इससे स्पष्ट है कि वादी/अपीलान्ट अपने जन्म दाता पिता की आराजी में खातेदार दर्ज है । विवादित आराजी ईसरराम की पैत्रिक भूमि नहीं है। इस कारण अपीलान्ट/वादी ईसरराम के साथ कोपारसनर नहीं है । ईसरराम के वारिसों में रामादेवी पत्नी तथा द्रोपदी पुत्री रही है जो ईसरराम की मृत्यु के बाद उसकी आराजी की सही एवं वास्तविक खातेदार काबिज काश्तकार है । अपीलान्ट नौरंगलाल का ईसरराम की आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।अपीलान्ट ने विवादित आराजी का ईसरराम की पैत्रिक हो यह भी साबित नहीं किया है । ईसरराम ने दिनांक 3-4-1999 को अपने जीवनकाल में खसरा नं0 229 व ख0नं0 63 की भूमि में से 1/2 हिस्सा की जमीन में से 4 बीघा 6 बिस्वा प्रतिवादी सं0-3 मृतक गिरधारीलाल को विक्रय करने के बाद शेष 5 बीघा 11 बिस्वा जमीन गणपतराम पुत्र भींवाराम जाती माली को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान की है तथा उसका कब्जा सम्भलाया है जिस पर आज गणपतराम काबिज है ।अपीलान्ट नोरंगलाल का इस आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ।यदि थोडी देर के लिये यह मान भी लिया जाता है कि अपीलान्ट नौरंगलाल मृतक ईश्वरराम का दत्तक पुत्र है तो भी ईश्वरराम के कुल तीन वारिस है । एक पत्नी रामादेवी, एक पुत्री द्रोपदी तथा तीसरा अपीलान्ट अदालत मातहत ने अपीलान्ट को 1/2 हिस्से का खातेदार कैसे मान लिया ।उसे केवल 1/3 हिस्से का ही खातेदार घोषित किया जाना चाहिये था । विवादित आराजी में से ईश्वरराम से 5 बीघा 11 बिस्वा गणपतराम ने क्रय की है । वादी अपी0 अपीलान्ट ने तो गणपतराम को पक्षकार तक नहीं बनाया । अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर बिना गौर किये आदेश पारित किया है । अदालत मातहत

का देहान्त दौराने दावा हो गया किन्तु वादी ने इनके कायम मुकाम की कोई कार्यवाही नहीं की । इस कारण वादी का दावा प्रथम दृष्टया ही अबैट हो चुका । इसके बाद भी अदालत मातहत ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अपना आदेश पारित किया है जो किसी भी स्तर से यथावत रहने योग्य नहीं है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे तथा अपील संख्या-36/2008 उनवान रामादेवी बनाम नौरंगलाल को स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9-4-08 को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श -1 गोद पत्र दिनांक 24-2-1973 में ईशररराम ने अपने छोटे भाई के लडके नौरग लाल को गोद लिया है । प्रदर्श-ए-5 निर्वाचक नामावली 1981-82 ग्राम बिरोल के क्रम सं0-57 पर नौरंगलाल पुत्र ईशररराम उम्र-22 वर्ष दर्ज है । प्रदर्श-ए-4 नकल दान पत्र में ईशररराम ने ख0नं0 75, 76, 77, 79, 80, 74 कुल किता-6 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा में 1/3 हिस्सा है मेरे कोई पुत्र सन्तान नहीं है, मैने किसी को आज तक गोद नहीं लिया ।मेरे एक जायन्दा पुत्री द्रोपदी है जो अकसर मेरे पास ही रहती है । इसकी सेवा से मैं प्रसन्न होकर मेरे हिस्से की आराजी का दान पत्र किया है । प्रदर्श-ए-3 विक्रय पत्र दिनांक 24-2-1973 को ईशवरराम ने ख0नं0 229 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में मेरा 1/2 हिस्सा हिस्से में पूरब की तरफ 9 बीघा 17 बिस्वा हिस्से में आई है । जिसमें 4 बीघा 6 बिस्वा{10 बीघा खाम} गिरधारीलाल को बैचान की है ।प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं0-2030 से 2033 में ख0नं0 63, 229 कुल किता-2 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी नाथू पुत्र नानगराम, मना, भाना पि0 दयाला हि0 1/2 ब0हि0ब0 ईसर पुत्र लिखमा हि0 1/2 के नाम दर्ज है । ख0नं0 74, 75, 76, 77, 79, 80 कुल किता-6 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी नाथू पुत्र नानग, गिरधारीलाल, सागरमल पु0 मना व भाना पुत्र दयाला हि0 1/3, झुथा पीथा पि0 रूपा, रामेश्वर मगराज पिता गंगलिया हि0 1/3, ब0हि0ब0 ईसर पुत्र लिखमा हि0 1/3 के नाम दर्ज है । प्रदर्श ए-1 गोद पत्र जिसमें ईसरराम ने नौरंगलाल को गोद लिया है ।

79,80 कुल किता-6 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा में 1/3 हिस्से का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है ।वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह आराजी ईसरराम के पिता अथवा दादा के नाम से रही है। अदालत मातहत ने विवादित आराजी को पैत्रिक नहीं मानकर आदेश पारित किया है तथा ख0नं0 63 व 229 में भी आराजी ईसरराम के नाम ही खातेदारी में दर्ज है जो प्रादर्श-2 जमाबन्दी सं0-2030 से 2033 है ।नौरंगलाल के जायन्दा पिता गिरधारी के फौत होने पर नौरंग,सुभाष पि0 गिरधारी, कमला पत्नी गिरधारी के नाम से खातेदारी दर्ज है ।इससे यह स्पष्ट है कि नौरंगलाल ने अपने जायंदा पिता की आराजी में भी अधिकार प्राप्त किये हैं ।जिसके कारण वह गोद के पिता की आराजी में कोई हक अधिकार नहीं रखता है । ईसरराम विवादित आराजी का दान पत्र किया है जिसका उसे करने का अधिकार है । दिनांक 3-4-1999 को ईसरराम ने ख0नं0 211,472; 473, 474, 475, 476,481 कुल किता-7 रकबा 6.51 हैक्टर में 1/3 हिस्सा में से 5 बीघा 11 बिस्वा गणपतराम को बैचान की है । जिस पर क्रेता काबिज है। ईसरराम विवादित आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि ईसरराम को यह आराजी उसके बाप दादाओं से प्राप्त हुई हो । दूसरा यह कि अदालत मातहत ने नौंरगलाल को ख0नं0 229 में तथा ख0नं0 63 में ईसरराम के हिस्से में 1/2 हिस्से का तथा द्रोपदी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है जबकि ईसरराम की पत्नी रामादेवी को कोई हिस्सा नहीं दिया । साथ ही अदालत मातहत मे प्रतिवादी स0-3, 5 व 6 दौराने दावा खत्म हो गये उनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्तियों के विरूद्ध भी आदेश पारित किया है । इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश तनकीवाई विधि के विपरित है जिसको यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अत: अपील सखया 50/2008 खारिज की जाती है तथा अपील संखया-36/2008 स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9-4-2008

खारिज किया जाता है । निर्णय की प्रति अपील संख्या-36/2008 में भी संलग्न की जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.12.2017 को सुनाया गया ।

13/12/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत – भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास – श्री भंवरलाल मेहरड़ा आर०ए०एस०

1- रामादेवी स्त्री ईशरराम (मृतक) --अपीलान्टस्--

--बनाम--

1-नौरंगलाल पुत्र गिरधारीलाल जाति माली निवासी बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आदि। --रेस्पोडेन्टस--

नोट-उनवान संलग्न है

अपील नम्बर 36 सन् 2008 बनाराजगी डिक्री अदालत – उप खण्ड अधिकारी नवलगढ

मुकाम – दिनांक 9 माह 4 सन् 2008

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख .... हब्स हमारे व हाजिर श्री शिवनारायण सिंह .... मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री हरिप्रसाद सैनी .... मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9-4-2008 खारिज किया जाता है ।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग ......xxx............... रुपये अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ......xxx............... रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख .... को जारी की गई।

दस्तखत –

ओहदा [illegible]

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	